



उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-3
संख्या-34/ 2018/ 2825/ 77-3-2018-139एम/ 2018
लखनऊ: दिनांक: 19 सितम्बर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-30 सन 2013) के अन्तर्गत पूर्वाचल एक्सप्रेसवे परियोजना (ग्रीन फील्ड परियोजना) के लिए भूमि अर्जन/ अधिग्रहण के मामले में अधिनियम की धारा-4 में दी गई व्यवस्था के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के मूल्यांकन हेतु अधिनियम की धारा 7(1) के अन्तर्गत निम्नवत बहु-शाखीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया जाता है:-

क्र0स0	नाम	पता/ मोबाइल नम्बर/ ई-मेल आईडी	
01	डा0 ए0के0 भारतीय, सह आचार्य	समाजकार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ मोबाइल नं0- 7991200589	दो गैर सरकारी सामाजिक वैज्ञानिक।
	डा0 पवन कुमार मिश्रा, सहायक आचार्य	समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ मोबाइल नं0- 9919397149	
02	श्री महेन्द्र यादव पुत्र श्री जयराम यादव	ग्राम प्रधान, ग्रामसभा-मौलानीपुर तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़। मो0 नं0-9838205591	पंचायत, ग्राम सभा, नगर पालिका या नगर निगम के 2 प्रतिनिधि।
	श्री सुबाष यादव पुत्र श्री रामनयन यादव	ग्राम प्रधान, ग्रामसभा- सेहदा तहसील सदर, जनपद आजमगढ़। मो0नं0-9670139999	
03	प्रोफेसर मनीष कुमार वर्मा	समाजशास्त्र विभाग, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ। मो0नं0-9198277999 ई-मेल आईडी- mkvbbau@gmail.com	पुनर्व्यवस्थापन संबंधी दो विशेषज्ञ।
	प्रोफेसर सनातन नायक	अर्थशास्त्र विभाग, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ। मो0नं0-9956042761 ई-मेल आईडी- sanatan5@yahoo.com	
04	श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव	मुख्य अभियन्ता, इंडो नेपाल बॉर्डर लोक निर्माण विभाग, मो0नं0-9415034883	परियोजना से संबंधित विषय में एक तकनीकी विशेषज्ञ।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- उक्त बहु-शाखीय विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता प्रोफेसर मनीष कुमार वर्मा, समाजशास्त्र विभाग, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा की जायेगी।

3- उपरोक्तानुसार गठित विशेषज्ञ समूह, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन, अधिनियम की धारा-7 की उपधारा-(4) और (5) में दी गई शर्तों के अन्तर्गत करेगा और रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के 2 माह के भीतर अपनी संस्तुति करेगा।

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

संख्या-34/ 2018/ 2825/ 77-3-2018, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ।
- 3- निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- मण्डलायुक्त, आजमगढ़ ।
- 5- जिलाधिकारी, आजमगढ़ ।
- 6- प्रोफेसर मनीष कुमार वर्मा, समाजशास्त्र विभाग, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 7- प्रोफेसर सनातन नायक, अर्थशास्त्र विभाग, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 8- डा० ए०के० भारतीय, सह आचार्य, समाजकार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 9- डा० पवन कुमार मिश्रा, सह आचार्य, समाज शास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 10- श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता, इंडो नेपाल बॉर्डर लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 11- श्री महेन्द्र यादव, ग्राम प्रधान, ग्रामसभा-मौलानीपुर तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
- 12- श्री सुभाष यादव, ग्राम प्रधान, ग्रामसभा-सेहदा तहसील सदर, जनपद आजमगढ़।
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।